न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 46/2021

अनवान : –

1. चानणमल पुत्र हरजीराम जाति कुम्हार निवासी 11 सीडीआर हाल हनुमानगढ टाउन वार्ड 36 त0 व जिला हनुमागनढ। प्रार्थी

बनाम्

1. नरेश कुमार पुत्र बलराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी 5 वाई त0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र बलराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी 5 वाई त0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रकाशवती पत्नी बलराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी 5 वाई त0 व जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी/सब रजिस्ट्रार टिब्बी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आरटीए
उपस्थिति :– श्री सुभाष गर्ग प्रार्थी अधिवक्ता
एस जोईया अधिवक्ता अप्रार्थीगण

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के नाम से चकनं0 11 सीडीआर के खाता सं0 89/73 संवम 2075 ता 78 में कुल 3.036 है० आराजी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से चकनं0 14 बीएन डबल्यू तहसील –सादुलशहर व चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी व अप्रार्थीगण के पिता बलराम के नाम से चकनं0 11 सीडीआर में कृषि भूमि थी । प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही दादा की संतान है प्रार्थी व अप्रार्थीगण पूर्व में अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य थे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के द्वारा चक 14 बी. एन. डबल्यू, चक 5 वाई व चक 11 सीडीआर की कृषि भूमि आपसी घरू बटवारां के अनुसार बांटकर काश्त करते चले आ रहे थे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य उक्त तीनों चकूको की कृषि भूमि का आपस में पारिवारिक रुप से बटवारां किया हुआ था प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच यानि पन्नाराम के वशंज के मध्य एक पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2013 को तहरीर करवाया गया। फैमिली सेंटलमेंट में हम परिवार के 12 सदस्यों के मध्य चक 14 बी. एन. डबल्यू, चक 5 वाई व चक 11 सीडीआर की कृषि भूमि का आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा किया गया ताकि परिवारों में भूमि के स्वामित्व व कब्जा आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद न हो व भूमि का एकीकरण होकर विवाद समाप्त हो जाए इस प्रकार से उक्त तीनों चकूकों की कृषि भूमि का पारिवारिक बटवारानामा लिखा गया। प्रार्थी के पिता हरजीराम का पन्नाराम के नाम की कृषि भूमि चक 14 बी. एन. डबल्यू व चक 5 वाई में हक व हिस्सा था। प्रार्थी का पिता सन् 1992 में फौत हो गया था व मुझ प्रार्थी का चक 14 बी. एन. डबल्यू व चक 5 वाई में जो हक व हिस्सा बनता था वह हिस्सा प्रार्थी द्वारा मुताबिक फैमिली सेंटलमेंट अप्रार्थीसं० 1 ता 3 को चक 5 वाई व चक 14 बी.एन.डबल्यू की कृषि भूमि दे दी गई व मुझ प्रार्थी को चक 11 सीडीआर के प०न० 218/ 262 मु0 57 किलानं0 3/.063, प0न0 219 / 261 मु0 42 किलानं0 21,22,23, प0न0 218 / 261 मु0 43 किलानं0 24, 25, जो अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के नाम है, वह कृषि भूमि मुताबिक सेटलमेंट मुझ प्रार्थी को प्राप्त हुई। मुताबिक फैमिली सेंटलमेंट की क्रम सं0 3 में हरजीराम के नाम की 14 बी. एन. डबल्यू की 25 बीघा भूमि मे से फैमिली सेंटलमेंट के शीर्षक में पक्षकार सं0 8 को प्राप्त हुई। पक्षकार सं0 8 नरेश कुमार वगैरह है। फैमिली सेंटलमेंट के क्रम सं0 4 अप्रार्थीगणसं० 1 व 2 के पिता बलराम के नाम से चक 11 सीडीआर में 25 बीघा भूमि थी जिसमें से 12 बीघा 10 बिश्वा फैमिली सेंटलमेंट के पक्षकार सं0 5 से 7 जो प्रार्थी चानणमल व पक्षकार सं0 6 बृजलाल व पक्षकार

Scanned with CamScanner

सं0 7 बृजलाल के पुत्रों को प्राप्त हुई । चक 11 सीडीआर की 12 बीघा 10 बिश्वा कृषि भूमि में से फैमिली सेंटलमेंट के लेख्यपत्र में पक्षकार सं0 5 चानणमल है जो प्रार्थी को सम्पति का विवरण क्रम सं0 05 में जिसका विवरण अंकित है वह कृषि भूमि मुझ प्रार्थी को प्राप्त हुई फैमिली सेंटलमेंट के हिसाब से जो सम्पति जिस पक्ष में आयी वह पक्ष उस सम्पति का स्वामी है व जिस पक्ष को सम्पति आयी है वह उस सम्पति का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छा से कर सकेगा। फैमिली सेंटलमेंट में समस्त सम्पतियों का जिक्र कर दिया गया है वह समस्त सम्पति जो फैमिली सेंटलमेंट में अंकित है वह परिवार की संयुक्त रुप से खरीद है। फैमिली सेंटलमेंट में वर्णित आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है व मुताबिक फैमिली सेंटलमेंट सभी पक्षकार अपना अपना हिस्सा अपने नाम करवाने के अधिकारी व दावेदार है। फैमिली सेंटलमेंट की प्रति व अन्य जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी जरिये घोषणा मुताबिक फैमिली सेटलमेंट चक 11 सीडीआर प0न0 218/262 मु0 57 किलानं0 3/1/.063 है० व प०न० 219/261 मु0 42 किलानं0 21, 22, 23 मय गै०मु० प०न० 218/261 मु0 43 किलानं0 24, 25, का खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थनापत्र की चरणसं0 4 में वर्णित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी के आधिपत्य में है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता के आधिपत्य में थी । प्रार्थी के पिता के फौत होने के उपरान्त वादी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता के नाम की पानी की पर्ची वर्ष 1993 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता के फौत होने के उपरान्त हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा काश्त सम्बन्धी ठेकानामा की चित्रप्रतियाँ संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी लगभग 60–70 वर्ष से उक्त 11 सीडीआर की आराजी प्रार्थी के आधिपत्य में है जो मुताबिक फैमिली सेंटलमेंट खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थीगण ने मुताबिक फैमिली सेंटलमेंट अपने हक व हिस्सा की आराजी अपने नाम करवा ली है लेकिन प्रार्थनापत्र की दफा 4 में वर्णित आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिली वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थनापत्र की दफा 4 में वर्णित अपने हक व हिस्सा की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थनापत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी प्रार्थी के कब्जा काश्त व आधिपत्य में मुताबिक हक व हिस्सा अनुसार चली आ रही है लेकिन प्रार्थनापत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम होने का नाजायज मुफाद उठाकर प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज चकनं0 11 सीडीआर की आराजी मे से प्रार्थी के हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी तरीका से अन्तरित करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण ने मुझ प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी है कि हम जबरदस्ती तेरे हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगे व उक्त आराजी को किसी असामजिक तत्व को बैचान कर कब्जा उसे सौंप देगें, अगर अप्रार्थीगण अपने इस गलत व विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है । लिहाजा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त व हक व हिस्सा की आराजी वाकें चक नं० 11 सीडीआर के प0न0 218/ 262 मु0 57 किलानं0 3/1/.063 है० व प०न० 219/261 मु0 42 किलानं0 21, 22, 23 मय गै०मु० प०न० 218/261 मु0 43 किलानं0 24, 25 से प्रार्थी को बेदखल करने, प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करने तथा वादगत आराजी को रहन, बैय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । सम्मन तामिल के बाद अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि **प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–1** में वर्णित उक्त शीर्षक का वादपत्र प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन यह वादपत्र कतई गलत व विधि विरूद्ध आधारों पर प्रस्तुत किया गया है

Scanned with CamScanner

जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित यह तथ्य स्वीकार है कि चक 11 सीडीआर तहसील टिब्बी के खाता संख्या 89 ६ 73 सम्वत् 2075–2078 में वर्णित 3.036 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यह भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त आधिपत्य व धारण में है । प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित यह तथ्य स्वीकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज एक ही है लेकिन यह कथन अस्वीकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य हो । स्व० पन्नाराम एवं उनके भाईयों के परिवार की चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर व चक 14 बी.एन.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर तथा चक 11 सीडीआर तहसील टिब्बी में कृषि भूमि होना स्वीकार है लेकिन यह तथ्य अस्वीकार है कि इस भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य पारिवारिक रूप से बंटवारा हो गया हो। प्रार्थी द्वारा अभिकथित पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2013 के अन्तर्गत सर्वप्रथम पक्षकारों ने पारस्परिक सहमति से विवाद को समाप्त करने हेतु बंटवारा का प्रयास किया था लेकिन यह बंटवारा कभी भी लागू नहीं हुआ। स्वयं प्रार्थी एवं अन्य पक्षकारों ने इस बंटवारा के विपरीत आचरण करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी ने स्व० पन्नाराम की वंशावली अधूरी अंकित की है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य कतई गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पिता स्व० श्री हरजीराम की चक 5 वाई की में भूमि में कोई हिस्सा नहीं था बल्कि चक 14 बी. एन. डब्ल्यू. मुरब्बा नंबर 50 में किला नंबर 1 से 25 कुल 25 बीघा भूमि ही थी । उक्त चक 14 बी. एन.डब्ल्यू. के मुरब्बा नंबर 50 की भूमि में से अप्रार्थीगण के कब्जा में कोई भूमि नहीं है बल्कि चक 14 बी. एन. डब्ल्यू. के मुरब्बा नंबर 37 पत्थर नंबर 2/134 के किला नंबर 1 से 25 कुल 25 बीघा जो स्व० पन्नाराम पुत्र स्व० श्री आशाराम के नाम दर्ज थी, में से मुताबिक विरासत अप्रार्थीगण के नाम क्रमशः 1. 338 हैक्टेयर, 0.226 हैक्टेयर व 0.226 हैक्टेयर कुल 1.790 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज है। अप्रार्थीगण के कब्जा में चक 14 बी. एन. डब्ल्यू. के मुरब्बा नंबर 50 की भूमि में से कोई भूमि कब्जा काश्त में नहीं है। प्रार्थी का यह कथन भी सर्वथा झूठ है कि प्रश्नगत भूमि चक 11 सीडीआर खाता संख्या 89/73 तादादी 3.036 हैक्टेयर में से पत्थर नंबर 218/262 (57) किला नंबर 3/0.063, पत्थर नंबर 219/261 (42) किला नंबर 21–22–23, पत्थर नंबर 218/261 (43) के किला नंबर 24–25 कुल 1.328 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जा में कथित पारिवारिक समझौता अनुसार हो। प्रार्थी ने इस चरण में यह तथ्य कतई झूठ अंकित किया है कि स्व0 हरजीराम के नाम दर्ज भूमि चक 14 बी. एन. डब्ल्यू मुरब्बा नंबर 50 की किला नंबर 1 से 25 कुल 25 बीघा भूमि में से कथित पारिवारिक समझौता के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को भूमि प्राप्त हुई हो। इस संबंध में विस्तृत विवरण "अतिरिक्त कथन" में निवेदन किया कि कथित पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2013 अस्पष्ट व अधूरा था तथा इस कारण कभी लागू नहीं हुआ। प्रार्थी स्वयं ने कथित पारिवारिक समझौता के विपरीत आचरण किया है तथाकथित पारिवारिक समझौता जो कभी लागू ही नहीं हुआ, के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि चक 11 सीडीआर खाता संख्या 89/73 तादादी 3. 036 हैक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1.328 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा झूठ है कि प्रश्नगत भूमि में से उपरोक्त वर्णित 1.328 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त हो । प्रार्थी एक तरफ तो पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2013 के आधार पर क्लेम कर रहा है व दूसरी तरफ अपने पिता के सन् 1992 में फौत होने के बाद से इस भूमि पर कब्जा काश्त होने का कथन कर रहा है । वास्तविकता यह है कि चक 11 सीडीआर की कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादिया संख्या 3 के पति स्व० श्री बलराम की क्रय शुदा थी तथा स्व० श्री बलराम राजकीय सेवा में थे तथा उक्त भूमि की काश्त व्यवस्था स्वव श्री बलराम के बड़े भाई हरजीराम ही संभालते थे तथा तत्समय इस भूमि की पानी की पर्ची श्री हरजीराम के नाम से जारी भी हुई थी तो इससे प्रार्थी को कोई लाभ नहीं मिलता। प्रार्थी एक तरफ तो पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2013 के आधार पर अप्रार्थीगण की भूमि पर अधिकार प्रकट कर रहा है तथा दूसरी ओर उक्त पानी की पर्ची का अवलम्ब लेकर अपना कब्जा जताना चाहता है। वस्तुतः चक 11 सीडीआर में स्व० श्री बलराम के नाम 52 बीघा भूमि खरीद शुदा थी। इस भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं

Scanned with CamScanner

उसके भाई बृजलाल को विक्रय की गई तथा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि बनवारीलाल की पुत्रवधूओं कमलादेवी, मंजूदेवी व रोशनीदेवी को विक्रय की गई तथा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि रामलाल के पुत्रों कृष्णलाल व प्रेमकुमार को विक्रय की बृजलाल ने कालान्तर में अपने हिस्सा की भूमि विक्रय कर दी व प्रार्थी उक्त खरीद शुदा भूमि काश्त करने लगा। पारिवारिक सदस्य होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 1 के राजकीय सेवा में नियुक्त होने तथा अप्रार्थी संख्या 2 अपने निजी व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण अपनी उक्त शेष रही 12 बीघा भूमि प्रार्थी की मार्फत काश्त करवाते थे व अब सन् 2010 से निरन्तर अप्रार्थीगण इस भूमि की काश्त व्यवस्था स्वयं संभाल रहे है। वर्तमान में इस भूमि की पानी की पर्ची अप्रार्थीगण के नाम से है तथा इस भूमि की रकमराज व आबयाना अप्रार्थीगण जमा करवा रहे है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य कतई गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के नाम सही एवं विधिसम्मत रूप से दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण में है। प्रार्थी का यह कथन असत्य है कि इस भूमि में से प्रार्थी के कब्जा काश्त में कथित 1.328 हैक्टेयर भूमि हो । प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण जो अभिलिखित खातेदार है, के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने से अप्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति होगी। प्रार्थी यावित अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज होने योग्य है । प्रार्थी द्वारा अभिकथित कथित पारिवारिक समझौता कभी भी लागू नहीं हुआ। अभिकथित पारिवारिक समझौता एक अपंजीकृत दस्तावेज है जिससे प्रार्थी को कोई हक एवं अधिकार सृजित नहीं होते । अभिकथित पारिवारिक समझौता कतई अस्पष्ट एवं कृषि भूमियों के पूर्ण विवरण का अभाव लिये हुये है जो कभी भी लागू नहीं हुआ । अभिकथित पारिवारिक समझौता के पृष्ठ संख्या 3 में क्रम संख्या 3 में उल्लेखित कृषि भूमि चक 14 बी. एन. डब्ल्यू. तादादी 25 बीघा के संबंध में पारिवारिक समझौता में बंटवारा का कोई उल्लेख नहीं है। वस्तुतः उक्त भूमि चक 14 बी.एन. डब्ल्यू. के मुरब्बा नंबर 50 के किला नंबर 1 से 25 है तथा यह भूमि मनीराम पुत्र गंगाराम की जरिये इकरारनामा क्रय शुदा थी तथा इस भूमि के संबंध में मनीराम पुत्र श्री गंगाराम व प्रार्थी के मध्य विवाद राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन था व कब्जा काश्त मनीराम पुत्र गंगाराम के पास था । पारिवारिक समझौता में इस भूमि का उल्लेख किये जाने के बावजूद इस भूमि के संबंध में बंटवारा का उल्लेख नहीं किये जाने से समस्त पारिवारिक समझौता छिन्न–भिन्न हो चुका है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 89/2006 शीर्षक "चानणमल बनाम मनीराम आदि" में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2013 के अनुसरण में प्रार्थी ने इस भूमि की बेदखली की डिग्री हासिल कर इस भूमि का कब्जा भी ले लिया है। इस प्रकार चक 14 बी. एन. डब्ल्यू. की उक्त मुरब्बा नंबर 50 के किला नंबर 1 से 25 को पारिवारिक समझौता में उल्लेख कर इस भूमि को पारिवारिक बंटवारा से अलग रख व तत्पश्चात् बेदखली की डिग्री में इस भूमि पर काबिज होकर प्रार्थी अनुचित फायदा लेना चाहता है । यह कि इसी पारिवारिक समझौता के एक पक्षकार सुरेन्द्र – ओमप्रकाश– दौलतराम पिसरांन बनवारीलाल ने भी इस पारिवारिक समझौता के विपरीत आचरण कर कृष्णलाल व रूपराम पुत्रगण श्री रामलाल के मध्य विवाद खडा कर दिया है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष लम्बित अपील संख्या 22/ 2020 व 23 /2020 में माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने कथित पारिवारिक समझौता दिनांक 22.09.2013 को अपंजीकृत होने से ऐसे पारिवारिक समझौता के आधार पर कोई हक व अधिकार नहीं होने की अवधारणा पारित की है। इस कारण भी प्रार्थी माननीय न्यायालय से कथित पारिवारिक समझौता का प्रवृतन करवाने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थी ने कथित पारिवारिक समझौता के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना–पत्र में पारिवारिक समझौता के समस्त पक्षकार आवश्यक पक्षकार है तथा पारिवारिक समझौता से संबंधित समस्त भूमियों को शामिल किया जाना भी अनिवार्य है। प्रार्थी ने पारिवारिक समझौता को लागू करवाये बिना आंशिक रूप से इस पारिवारिक समझौते के आधार पर अपने पक्ष में डिक्री प्रदत्त किये जाने का अनुतोष चाहा है, जो उक्त विधिक स्थिति अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किये जाने का निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

जवाब प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किय कि जवाब के अतिरिक्त कथन की चरण सं0 7 में तथ्य कतई गलत अकित किये हैं स्वीकार नहीं। पारिवारीक समझोता में स्पष्ट रूप से कृषि भूमि का विवरण अकित किया हुआ है व मुताबिक पारिवारीक समझौता आराजी काश्त करते चले आ रहे हैं। अतिरिक्त कथन की चरण सं0 8 के तथ्य कतई गलत अकित किये हैं स्वीकार नहीं। चक सं0 दृ 14 बीएनडब्ल्यू की 25 बीघा आराजी का उल्लेख पारिवारीक समझोता के पृष्ठ स. 2 में कम सं0 1 पर अंकित है अप्रार्थी सं0 8 द्वारा चरण स. 8 में चक 14 बीएनडब्ल्यू के मु0न0 50 के किला न0 1 से 25 का पारिवारीक समझौता में कोई विवरण अकित नहीं है जो कि पारिवारीक समझौता से बाहर है जो कि मनीरामपारीवारीक समझौता में पक्षकार नहीं' है। अप्रार्थी द्वारा अपील सं0 89/2006 निर्णय दिनांक 31.12.2013 का पारिवारीक समझौता से कोई सम्बन्ध नहीं है चक 14 बीएनडब्ल्यू के मु0न0 50 के किला न. 1 ता 25 का पारिवारीक समझौते में उल्लेख नहीं है अप्रार्थी द्वारा जानबूझ कर गलत तथ्य अंकित किये गये है। अतिरिक्त कथन की चरण सं0 9 के तथ्य गलत अंकित किये गये है स्वयं अप्रार्थीगण ने यह स्वीकार किया है कि फैमिली सेटलमेंट के अनुसार चक 14 बीएनडब्ल्यू के मु0न0 37 की 6.325 है काश्त करते चले आ रहे है जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर बउनवानी नरेश कुमार बनाम गोपीराम आदि के वाद पत्र में स्पष्ट अंकित की गई है। इस प्रकार प्रार्थी मुताबिक सैटलमेंट चक 11 एसडीआर की विवादित आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2014–15 आरआरटी 567 राजस्व मण्डल अजमेंर न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है चूंकि हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पारिवारीक समझौते के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसकी चित्रप्रति पत्रावली में सलंग्न है। उक्त पारिवारीक समझौता एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं है और ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत किया है जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रार्थी ने उक्त पारिवारीक समझौते को लागू करने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की हो। अप्रार्थीगण वाद भूमि के रिकोर्ड खातेदार है। प्रार्थी का अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए राजस्व वाद न्यायालय में जैरकार है जिसमें साक्ष्य–सबूत व तनकी आदि लेखबद्व के बाद ही प्रार्थी को उक्त समझौता के आधार पर अपना वाद साबित करना है। न्यायालय के अभिमत में ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया राजस्व न्यायालय से प्रार्थी को रिकोर्डेड टिनेंट के खिलाफ अनुतोष देय नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित है कि वाद भूमि अप्रार्थीगण को उनके पिता से प्राप्त हुई है। और वे वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि पारिवारिक समझौते में वाद भूमि के अलावा अन्य सम्पूर्ण भूमि मुताबिक सैटलमेंट राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई है एवं केवल मात्र वाद भूमि ही रिकोर्ड में दर्ज रहने से शेष रही हो। अप्रार्थीगण जो कि वर्तमान में वाद भूमि के रिकोर्डेड टिनेंट है को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो उनके

Scanned with CamScanner

खातेदारी अधिकार प्रभावित होने की पूरी–पूरी संभावना है। अतः सुविधा का संतुलन बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष व विरूद्व प्रार्थी साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सावित है। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हिस्सा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनके नियमित उपयोग–उपभोग में परेशानीयों के कारण अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्व सावित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्व प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner